संख्या-203/2018/2333/71-1-2018-जी-89/2006

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 जुलाई, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झॉसी के निर्माण की परियोजना की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा आगामी किश्त अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झॉसी के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-यू0ओ0-213/26-ब0प्र0-2007-जी-89/2006, दिनॉक 29-03-2007 द्वारा रू0 23865.80 लाख (रू0 दो अरब अड़तीस करोड़ पैसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लागत पुनरीक्षित होने के कारण पुनरीक्षित लागत रू0 36448.87 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-95/26-ब0प्र0-2011-जी-89/2006, दिनॉक 08-02-2011 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 36448.87 लाख के सापेक्ष विभिन्न् शासनादेशों द्वारा कुल रू0 34629.41 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- उक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018/57, दिनॉक 07-05-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झॉसी के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा आकलित तथा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 22.11.2016 में अनुमोदित लागत रू0 40356.19 लाख (रू0 चार अरब तीन करोड़ छप्पन लाख उन्नीस हजार मात्र) की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

3- प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, ट्रान्सफार्मर, डी0जी0 सेट, एयर कन्डीशनिंग सिस्टम, ई0पी0ए0वी0एक्स0 सिस्टम, हाईमास्ट लाईट, सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, फायर पम्प की लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करे। चूॅकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत नियमों के आधार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- पुनरीक्षित प्रयोजना प्रस्ताव में 94156.96 घ0मी0 मिट्टी की भराई हेतु रू0 519.84 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई है, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति न होने के कारण प्रभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा मिट्टी भराई की लागत को अनुमन्य नहीं किया गया है। मिट्टी भराई की लागत के संबंध में पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर संसुगत नियमों का पालन करते हुए प्रशासकीय विभाग को कार्यवाही करने एवं उसके उपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासकीय विभाग से सहमत होने के पश्चात् मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनरिश का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता भवन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुई मानी जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रज्ञतव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

10- महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

11- निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

12- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार व व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

3- पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झॉसी के निर्माण की प्रायोजना लागत रू0 403.5619 करोड़ के व्यय को अनुमोदित किए जाने एवं प्रायोजना में सम्मिलित स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, पेवि□ट टाइल्स, वुड ब्लाक फ्लोरिंग, वुडेन पैनलिंग, एन्टीस्किड, एसिड प्रूफ टाइल्स, फाल्स सीलिंग, फ्लोर कारपेट आदि उच्च वि□□शिष्टियों पर मा0 मंत्रि परिषद की बैठक दिनॉक 19.06.2018 में कार्यावली की मद संख्या-7 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-57-पैरा मेडिकल कालेज, झॉसी-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1566/दस-2018, दिनॉक 11 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 203/2018/2333(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉसी।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज झॉसी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।